न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–152/2010

CIS No.-TS 378/2018

भीखर साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

काशी साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.08.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.12.2023 को अंदर आदेश 13 नियम 01 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.12.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में मूल बैयनामा दस्तावेज सं0–2907 दिनांक 01.04.2017 केशव उपाध्याय बनाम राजू यादव श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया जा रहा है, जो गुड्डु कुमार द्वारा टंकित किया गया है एवं जिसपर गवाह देवेन्द्र तिवारी वो उमेश तिवारी अपना गवाही बनाये है एवं बैयनामा दस्तावेज सं0–2223 दिनांक 24.03.2012 अमर देव यादव बनाम काशी यादव दाखिल किया जा रहा है, जिसका पहचान पारस यादव ने किया है और दस्तावेज का मजमून राम बहादुर प्रसाद कातिब के द्वारा तैयार किया गया है। उपरोक्त दस्तावेज को प्रदर्श करना न्यायहित में अति आवश्यक है नहीं तो प्रतिवादीगण न्याय से वंचित हो जाएगें। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने की अनुमति प्रदान करें। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 03.02.2024 को दाखिल किया गया है और कहा गया है कि प्रतिवादीगण का आवेदन कानून वो तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में जिन कागजातों को दाखिल किया गया है, उक्त कागजातों को वाद बिन्दु गठन के पूर्व दाखिल किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। उपरोक्त	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–152/2010</u>

<u>CIS No.-TS 378/2018</u>

भीखर साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

काशी साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 02.08.2025	कागजातों को अभिलेख पर रखने वो ग्रहण हेतु आवेदन दाखिल करना चाहिए, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विधि सम्मत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है एवं उपरोक्त दस्तावेज मूल दस्तावेज है, जिसे बिना साक्षी द्वारा प्रदर्श कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को लंबित रखने के उद्देश्य से वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 13.12.2023 को विशेष खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 13.12.2023 को स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 06.08.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	